

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 033/2023 (GCMS 2023/33)	दायर दिनांक 23.02.2023	निर्णय दिनांक 09.05.2024
---	---------------------------	-----------------------------

उनवान

सरकार जरिये प्रेम चन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र रामेश्वर सिंह, मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

-:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::-

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चन्द शर्मा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के आदेश क्रमांक खा.सु.एवं औ. नि./संस्था/2022/3022 दिनांक 16.09.2022 के अनुसार इन्हें अतिरिक्त कार्यक्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया और जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके



कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.10.2022 को समय 03.15 पी. एम. पर मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां पर गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र रामेश्वर सिंह, उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ कलाकन्द आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने को कहा गया, जो विक्रेता ने मौके पर दिखाया। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर कुल 4-5 कि. ग्रा. कलाकन्द विक्रय हेतु एक ट्रे में रखा था मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर VA की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को दी गयी जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कलाकन्द 2 कि. ग्रा. जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपये 720/- नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 4 लेबल तैयार किये जिन पर नमूना कोड व क्रमांक, दिनांक, स्थान तथा स्वयं व गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर अंकित करवाये। खरीदशुदा कलाकन्द को गवाह तथा विक्रेता को दिखाकर 4 साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक के जारों में प्रत्येक में 500-500 ग्राम लिया तथा प्रत्येक जार में 40-40 बूंदे फॉर्मेलीन डाली तथा प्रत्येक जार को एयरटाईट ढक्कन से बन्द किया तथा प्रत्येक नमूना जार पर उपरोक्त लेबल गोन्द से चिपकाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागजों में लपेट कर कागज के दोनों सिरों को मोड़ कर गोन्द से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1718 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 सील चपडी लगाई। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाईं और एवं एक बाईं और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप से रेपर पेपर तक तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूना भागों को सील बन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग



(चौथा भाग) को एक्रीएटेड लेब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में नमूना वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ नमूना तथा फार्म नं. 6 प्रयोगशाला जमा कराई जाने की असल प्रति संलग्न है। शेष तीन नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की तीन प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 16.11.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैन्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज दिनांक 09.02.2023 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 09.02.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है मूल पत्र संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैन्डर्ड कलाकन्द का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 प्रेमचन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह तथा नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा हेतु वाहक) गवाह संख्या 3 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (न्यायनिर्णयन आवेदन हेतु अधिकृत करने बाबत तथा पेपर स्लिप आदि जारी करने बाबत) गवाह संख्या 4 डॉ. रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर (नमूना जांच रिपोर्ट जारीकर्ता) तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थी को प्रेषित नोटिस/सूचना पत्र उसे डिलीवर्ड हो जाने के बावजूद भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ कलाकन्द का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 20.10.2022 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 20.10.2022 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1718 नियमानुसार



प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 56 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक मनोहर के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1718 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक मनोहर द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 21.10.2022 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2022/3653 दिनांक 16.11.2022 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 903/ACT 2022/903 Dated 28-10-2022 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 903/ACT 2022/903 Dated 28-10-2022 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द शर्मा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 56 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 22.10.2022 से 28.10.2022 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Kalakand bearing code no. and serial no. AM-1718 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh is sub-standard food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1718 कलाकन्द खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (sub-standard) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2022/3653 दिनांक



16.11.2022 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2023/456 दिनांक 09.02.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 14 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र रामेश्वर सिंह, मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।



खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र रामेश्वर सिंह, मैसर्स भवानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ को राशि रूपये 30000/- अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़